Regarding the Supreme Court orders for Sub-Categorization of SCs and STs

श्रीमती संजना जाटव **(भरतपुर) :** सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि दिनांक 1 अगस्त, 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश में इन वर्गों के लोगों को उपवर्गीकरण करके आरक्षण व्यवस्था दिए जाने का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में राज्यों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है । जिसमें वास्तव में लोगों का उपयोग राजनैतिक दल एवं सत्ता वोट बैंक के रूप में करने के आदेश हुए हैं । साथ इस आदेश द्वारा संविधान?(व्यवधान)